बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-16/2015- 5474 /खाद्य, पटना/दिनांक- 14.07.15

ई-मेल/फैक्स प्रेषक,

एल0 पी0 सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- आरक्षण के दृष्टिकोण से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय आरक्षित वर्ग की अनुसूची में परिवर्तन किये जाने के आलोक में जन वितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन में संशोधित अनुसूची के अनुरूप अनुज्ञप्ति निर्गत करने में मान्यता देने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ने कई जातियों का आरक्षण संबंधी स्टेटस में परिवर्तन किया है । उदाहरण स्वरूप **'तांती (ततवा)'** जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाया गया है एवं **दांगी** तेली इत्यादि जाति को पिछड़े वर्ग की अनुसूची-II से विलोपित कर अनुसूचि- I में शामिल किया गया है ।

ऐसे मामलों में स्टेटस परिवर्तित जातियों को उनके परिवर्तित स्टेटस के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने में मान्यता दिया जाना है ।

अतः इस सम्बन्ध में निदेश दिया जाता है कि जिन जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की रिक्तियाँ भरे जाने का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है, उन जिलों द्वारा ऐसी परिवर्तित स्टेटस वाली जातियों को आवेदन पत्र समर्पित करने हेतु कम से कम एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया जाय, तथा जिन जिलों में अभी तक विज्ञापन प्रकाशन नहीं किया गया है, वहाँ ऐसी जातियों का आवेदन पत्र परिवर्तित स्टेटस के आधार पर मान्यता देने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

14/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07विविध-16/2015- 5474 /खाद्य, पटना/दिनांक- 14.07.15

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/विशिष्ट पदाधिकारी पटना अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07विविध-16/2015- 5474 /खाद्य, पटना/दिनांक- 14.07.15

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

14/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07विविध-16/2015-5474 /खाद्य, पटना/दिनांक- 14.07.15

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

14/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\Year 2015 File Sec-7\Vivid-1-2014-15.doc